उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 18/2019/1236(2)/53-2-19-151(विविध)/2016
लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 में "सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना" योजनान्तर्गत रू0 47.00 लाख (रू0 सैतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-17/2019/1236/53-2-19-151(विविध)/16, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -2 में निम्नवत अंकित है-

"उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-04-सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।"

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 का प्रस्तर-2 निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

"उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक ''2404-डेरी विकास-109-विस्तार तथा प्रशिक्षण-04-सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना-35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-17/2019/1236/53-2-19-151(विविध)/16, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-18/2019/1236(3)/53-2-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार-लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

...2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3

12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी, उ0प्र0।

13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।

14- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।